वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2024–2025

सामाजिक अंकेक्षण केवल एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि जवाबदेह शासन की प्रतिबद्धता है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
राजस्थान, जयपुर

E-mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN 0149 •Tel. : 2227033/2227725

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

Society for Social Audit
Accoutability & Transparency
(SSAAT), Rajasthan

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2024—25

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033/2227725)
Website:-https://socialaudit.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का गठन	1
3	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के उद्देश्य	1
4	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का क्षेत्राधिकार	1
5	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का संगठनात्मक ढांचा	2
6	सोसायटी में शक्तियों का प्रत्यायोजन	2
7	सोसायटी में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति	2
8	सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत मानव संसाधन मय विवरण	3 – 4
9	सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं	5 – 12
10	लोकपाल एवं अपीलेट अथोरिटी की नियुक्ति	12 – 13
11	सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्यों का 03 वर्ष का तुलनात्मक विवरण	14
12	लेखे एवं अंकेक्षण	15 – 18
13	अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु	18
14	परिशिष्ट–1 मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 27 जून 2019	19
	परिशिष्ट –2 सोसायटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र	19

1. **प्रस्तावना :**

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंगों में पारदर्शिता, भागीदारी, विचार–विमर्श, जवाबदेही, परिवेदना/शिकायतों का त्वरित निवारण आते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 में सामाजिक अंकेक्षण के लिये अंकेक्षण मानक स्थापित किये गये है। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019–20 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.1 में सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्थापित करने का प्रावधान है।

2. **सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन :–**

भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA-VII/P दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्री मण्डलीय आज्ञा दिनांक 27.06.2019 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। सोसायटी का पंजीकरण राजस्थान सोसायटीज अधिनियम-1958 के अन्तर्गत दिनांक 20.08.2019 को किया गया जिसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 19.09.2019 को किया गया।

3. **सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के उद्देश्य :–**

सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसका मूल उद्देश्य जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंग हैः–

- पारदर्शिता – प्रशासनिक निर्णयों में पूर्ण पारदर्शिता
- भागीदारी – कार्य व निर्णयों में जन सहभागिता
- विचार – विमर्श एवं निर्णयों को सामूहिक रुप से सुनिश्चित करना
- जवाबदेही – निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करना
- परिवेदना/शिकायत निवारण – सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जनता से प्राप्त परिवेदनाओं एवं शिकायतों का निराकरण

4. **सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का क्षेत्राधिकारः–**

i. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का संचालन क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है।

ii. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना तथा भारत/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं शहरी (पीएमएवाई–ग्रामीण एवं अरबन),पंद्रहवां वित्त आयोग (एफएफसी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित कुल 4 योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नशा मुक्ति केन्द्र, वृद्धाश्रम योजना व आवासीय विद्यालय योजना आदि योजनाओं के तहत किये जाने वाले कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है।

iii. किसी भी अन्य योजना के सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) को दिया जा सकता है। जिन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, इस बाबत् समय–समय पर भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का संगठनात्मक ढांचाः–

सोसायटी के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (Governing Body) के निर्देशन में होगा। शासी निकाय में अध्यक्ष-मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, उपाध्यक्ष-अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा सदस्य सचिव-शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सहित कुल 13 सदस्य होगें। शासी निकाय के निर्देशों की पालना कराने एवं नियमित कार्य संचालन हेतु निर्णय करने के लिये एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) होगी। कार्यकारी समिति (EC) में अध्यक्ष-अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उपाध्यक्ष-शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग तथा सदस्य सचिव-निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) सहित कुल 18 सदस्य होगें।

6. सोसायटी (SSAAT) में शक्तियों का प्रत्यायोजन :–

सोसायटी की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25.11.2020 के निर्णय सं. **3.5** की अनुपालना में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन का अनुमोदन शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 के निर्णय संख्या 2.5 द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान सेवा नियम (RSR), सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम (GF&AR), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम (RTPP Act 2012 & Rules 2013), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (PWF&AR) के नियमों के अंतर्गत **निदेशक, (SSAAT) को विभागाध्यक्ष** एवं **उप निदेशक को कार्यालयाध्यक्ष** के समकक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश की अनुपालना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग–1) के आदेश क्रमांक एफ1(8)ग्रावि / ग्रुप–1 / 2013 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु स्थायी आदेश जारी किये गये है,

7. सोसायटी में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदो की स्थिति :–

क्रसं	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत		रिक्त पद	विशेष विवरण
			नियमित	संविदा		
01	निदेशक	1	1	–	–	–
02	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	–	–	–
03	उप निदेशक	1	1	–	–	–
04	लेखाधिकारी	1	–	–	1	–
05	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	4	–	4	–	–
06	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	8	2	6	–	–
07	कनिष्ठ लेखाकार	4	–	–	4	–
08	प्रोग्रामर	1	1	–	–	–
09	सहायक प्रोग्रामर	2	–	–	2	–
10	सूचना सहायक	5	–	–	5	–
11	निजी सचिव	1	–	–	1	–
12	निजी सहायक / स्टेनो	1	–	1	–	–
13	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	–	–	1	–
14	लिपिक ग्रेड–II	2	2	–	–	–
15	सहायक कर्मचारी (संविदा पर एंजेन्सी के माध्यम से)	4	–	4	–	–
16	मैन–विद–मशीन (संविदा पर एंजेन्सी के माध्यम से)	6	–	6	–	–
	कुल योग	**43**	**08**	**21**	**14**	**–**

सोसायटी के विधान अनुसार सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाऐं प्रतिनियुक्ति/संविदा आधारित सेवाओं के द्वारा ली जा सकती है। निदेशक (SSAAT) जो स्वतंत्र होगा जिनके पास निदेशक (SSAAT) के तौर पर पूरा चार्ज होगा और वह कोई सरकारी अधिकारी नही होगा, जो महात्मा गांधी नरेगा सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं को लागू करने में शामिल नहीं हो। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों एवं ग्रामीण विकास विभाग, नरेगा एवं सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की वेब–साईट पर दिनांक 16.10.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। स्वतंत्र निदेशक के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन रही।

8. सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत मानव संसाधनः–

(i) सामाजिक अंकेक्षण हेतु स्वीकृत पदः–

सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी (SSAAT) में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के संविदा के आधार पर स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त
1	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	1	1	–
2	राज्य संसाधन व्यक्ति	6	6	–
3	जिला संसाधन व्यक्ति	99	55	44
4	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	1886	925	961
5	ग्राम संसाधन व्यक्ति	35200	12800	22400

(ii) संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रियाः–

सोसायटी में उपरोक्त वर्णित स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर चयन एवं नियुक्ति हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम 2020 (क्रमांक F.61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7497 यथा संशोधित दिनांक 12.03.2020, दिनांक 27.11.2020 एवं दिनांक 02.02.2022) बनाये गये है जो शासी निकाय से अनुमोदित हैं, के अनुसार ही संसाधन व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही की गई है।

- सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति तथा जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) स्तर पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर की गई है।
- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियो के चयन की कार्यवाही जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर के स्तर पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर की जाती है।
- सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन सम्बन्धी विनियम 2020 (द्वितीय संशोधन) के अनुसार राजीविका–महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत साथिनों और नेहरू युवा केन्द्रों के कक्षा 10वीं अथवा अधिक शिक्षित सदस्यों को सीधे ही (Lateral Entry) ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में लिया जा सकेगा। इन लोगों में से सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम–2020 यथा संशोधित दिनांक 12–03–2020, दिनांक 27–11–2020 एवं दिनांक 02–02–2022 अनुसार उपयुक्त/पात्र तथा सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने हेतु सहमति देने वाली महिलाओं/सदस्यों को समानांतर प्रविष्टि के रूप में सीधे ही (Lateral Entry) लिया जा सकेगा। उपरोक्त तीनों वर्गों के सदस्यों के अलावा अन्य शेष बची हुई संख्या में ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन उक्त नियम के बिन्दु संख्या ''य (iv) – ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आदि के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी''। ग्राम संसाधन व्यक्ति का चयन उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

- **(iii) देय मानदेय–**

संसाधन व्यक्तियों को देय मानदेय की दरें :–

भारत सरकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुमोदन अनुसार मानदेय की दरें निम्नानुसार है :–

क्र. स.	संसाधन व्यक्तियों की श्रेणी / वर्ग	मानदेय राशि
1.	सामाजिक विकास विशेषज्ञ	40,000 रू. प्रति माह
2.	राज्य संसाधन व्यक्ति	20,000 रू. प्रति माह
3.	जिला संसाधन व्यक्ति	20,000 रू. प्रति माह
4.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति	500 रू. प्रति व्यक्ति प्रति दिवस
5.	ग्राम संसाधन व्यक्ति	300 रू. प्रति व्यक्ति प्रति दिवस

(iv) संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र वर्ष 2023–24 के अध्याय संख्या–10 के बिन्दु संख्या–10.1.5 के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS), राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP), जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) के लिए सामाजिक जवाबदेहिता और सामाजिक अंकेक्षण से सम्बन्धित 30 दिवस का सर्टिफिकेट कोर्स आवश्यक है।

अतः सभी नवीन चयनित पात्र सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS), राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP), जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के सौजन्य से आवश्यकतानुसार 30 दिवस का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2024–25 में दिये गये प्रशिक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

➢ सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS), राज्य एवं जिला संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षणः–

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 1 सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS), 2 राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP) तथा 52 जिला संसाधन व्यक्ति (DRP), समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत 1 सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS), 4 राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP), तथा 55 जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) तथा 6 ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल योजना के अन्तर्गत 1 सामाजिक विकास विशेषज्ञ (SDS), 5 राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP) तथा 5 जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया हैं।

➢ ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षणः–

सोसायटी द्वारा 119 नव चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों मय 2 जिला संसाधन व्यक्ति (1 जिला संसाधन व्यक्ति, जम्मू कश्मीर, केन्द्र शासित प्रदेश) कुल 121 संसाधन व्यक्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद के सौजन्य से माह जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 तक सहकारी प्रबन्ध संस्थान (ICM) जयपुर में 30 दिवसीय आवासीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया हैं।

सोसायटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (IGPRS) सहित जिला मुख्यालयों पर 275, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 172, समग्र शिक्षा के अन्तर्गत 6 तथा Cluster Social Auditor के अन्तर्गत 941 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।

(v) जिला / ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों भुगतान सम्बन्धी व्यवस्था :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम एवं द्वितीय छःमाही के सामाजिक अंकेक्षण दल में कार्य करने वाले समस्त जिला संसाधन, ब्लॉक संसाधन, एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों को मानदेय का भुगतान सोसायटी स्तर से सीधें ही संसाधन व्यक्तियों के बैंक खातें में हस्तानान्तरण किया जा रहा है।

9. सोसायटी द्वारा अंकेक्षित योजनाएं :

भारत सरकार/राज्य सरकार सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाने बाबत विधिक प्रावधान/प्रशासनिक निर्देश है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में सोसायटी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15 वें वित्त आयोग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल 4 लक्षित योजनाओं {प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के तहत संचालित वृद्धाश्रम एवं स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई टार्गेटेड एरियाज (SHRESHTA)} के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो एवं योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रगतिः–

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति से बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वागीण विकास करने के उद्देश्य से सोसायटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15 वें वित्त आयोग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुल 4 लक्षित योजनाओं {प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अन्तर्गत संचालित वृद्धाश्रम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के तहत संचालित नशामुक्ति केन्द्र एवं स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई टार्गेटेड एरियाज (SHRESHTA)} के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालय हेतु स्वीकृत कार्यो एवं योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है। जिनका माह मार्च 2025 तक का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	योजना का नाम	उपलब्धियों का विवरण
1	महात्मा गांधी नरेगा योजना	11196 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	4846 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
3	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	33 जिलो की 3695 ग्राम पंचायतो में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित शौचालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया
4	15वां वित्त आयोग	15वां वित्त आयोग की गाईड लाइन के अनुसार 1903 ग्राम पंचायतो में हुए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।
5	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुल 4 लक्षित योजना	55 प्रधानमंत्री आदर्शग्राम योजना (PMAGY), 01 अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), के अन्तर्गत संचालित वृद्धाश्रम 04 नेशनल एक्शनप्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के तहत संचालित नशामुक्ति केन्द्र का सामाजिक अंकेक्षण एवं 04 स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई टार्गेटेड एरियाज आवासीय विद्यालय (SHRESHTA) का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।

(i) महात्मा गांधी नरेगा योजनाः–

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में हुए निर्माण कार्यो एवं लाभार्थियों के हित में किये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 11196 ग्राम पंचायतो में सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न किया गया जिसका माहवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	माह का नाम	अंकेक्षण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	विशेष विवरण
1	अप्रेल 2024	आदर्श आचार संहिता लगने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नही करवाया गया।		12 नगरपालिका बनने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नही किया जा सका।
2	मई 2024			
3	जून 2024	1800	1400	
4	जुलाई 2024	2700	1000	
5	अगस्त 2024	2800	1100	
6	सितम्बर 2024	3908	1000	

7	अक्टूबर 2024	1600	992	
8	नवम्बर 2024	1600	1000	
9	दिसम्बर 2024	2400	2004	
10	जनवरी 2025	2400	1000	
11	फरवरी 2025	2400	1000	
12	मार्च 2025	808	700	
	कुल योग	11208	11196	

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजस्थान के 33 जिलों की 11196 ग्राम पचांयतों में नरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो अनियमितताएं पायी गई उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय अनियमितता **Financial Misappropriation**		वित्तीय विचलन **Financial Deviation**		प्रक्रिया उल्लंघन **Process Violation**		परिवेदनाएं **Grievences**		कुल अनियमितताएं	
प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
978	198551723	1640	206290968	13114	124255342	744	2396978	16476	531495010

सामाजिक अंकेक्षण की अनियमितताओं का जिलेवार एवं श्रेणीवार विवरण

क्र. सं.	जिला	वित्तीय अनियमितता **Financial Misappropriation**		वित्तीय विचलन **Financial Deviation**		प्रक्रिया उल्लंघन **Process Violation**		परिवेदनाएं **Grievances**		कुल अनियमितताए **Total**	
		Number of Issues Reported	**Amount (Rs.)**	**Number of Issues Reported**	**Amount (Rs.)**	**Number of Issues Reported**	**Amount (Rs.)**	**Number of Issues Reported**	**Amount (Rs.)**	**Number of Issues Reported**	**Amount (Rs.)**
1.	अजमेर	44	10774700	17	3644461	680	3053723	78	0	819	17472884
2.	अलवर	15	1478940	57	14007328	398	1450861	0	0	470	16937129
3.	बांसवाड़ा	17	8109432	8	1230000	140	542430	0	0	165	9881862
4.	बारां	18	2956101	16	0	232	3118846	8	0	274	6074947
5.	बाड़मेर	33	6047123	9	103040	381	14925	7	1200	430	6166288
6.	भरतपुर	23	1763684	10	200000	435	1010300	16	2500	484	2976484
7.	भीलवाड़ा	53	10615118	39	3517615	411	4132728	14	0	517	18265461
8.	बीकानेर	20	7436331	20	3440247	418	1095864	18	7650	476	11980092
9.	बूंदी	74	12751698	299	49127405	743	892508	136	0	1252	62771611
10.	चित्तौडगढ़	71	20660398	169	11662064	1057	28400007	51	1149671	1348	61872140
11.	चुरू	10	3645377	25	0	443	566953	23	0	501	4212330
12.	दौसा	55	3257962	47	7015052	457	344500	10	20443	569	10637957
13.	धौलपुर	5	526170	6	2471121	351	1140714	5	0	367	4138005
14.	डूंगरपुर	31	17746017	4	1259757	220	16348481	5	1033409	260	36387664
15.	हनुमानगढ़	1	80070	5	1521891	153	798620	4	0	163	2400581
16.	श्री गंगानगर	13	1588772	14	3424875	133	294078	11	0	171	5307725
17.	जयपुर	24	11061391	23	4718094	115	4029096	3	156400	165	19964981
18.	जैसलमेर	20	15664773	25	4188637	268	1090000	3	0	316	20943410
19.	जालौर	18	1507554	30	0	307	847415	0	0	355	2354969
20.	झालावाड़	91	693559	32	267680	628	292475	15	4200	766	1257914
21.	झुन्झनू	53	14743142	21	1781769	148	552056	11	0	233	17076967
22.	जोधपुर	14	1245559	30	0	631	1377440	23	0	698	2622999
23.	करौली	96	9962884	116	36810505	412	7358022	16	0	640	54131410
24.	कोटा	21	13458262	33	17057249	86	3336559	13	0	153	33852070
25.	नागौर	14	1583893	192	2924000	636	3464000	144	10000	986	7981893
26.	पाली	10	2684319	111	13125516	244	3167505	8	0	373	18977340
27.	प्रतापगढ़	9	1231369	26	330048	231	1835405	8	0	274	3396822
28.	राजसमंद	19	2810686	8	20000	237	395310	14	0	278	3225996
29.	सवाई माधोपुर	44	1382954	126	2033650	982	3515075	29	0	1181	6931679
30.	सीकर	4	2122345	4	150500	10	140000	1	5000	19	2417845
31.	सिरोही	16	4312320	16	3013646	503	8224749	64	6505	599	15557220
32.	टोंक	35	2697960	30	2881595	735	193983	3	0	803	5773538
33.	उदयपुर	7	1950860	72	14363223	289	21230714	3	0	371	37544797
	कुल	**978**	**198551723**	**1640**	**206290968**	**13114**	**124255342**	**744**	**2396978**	**16476**	**531495010**

महात्मा गांधी–नरेगा योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने पर 04 भागों में वर्गीकृत अनियमितताओं का विवरण

क्र.सं.	अनियमितताओं की श्रेणी	अनियमितताओं के प्रकरणों की संख्या
Financial Misappropriation (वित्तीय अनियमितता)		
1	काम न करने वाले व्यक्ति को भुगतान	272
2	रिश्वत	3
3	कार्य से संबंधित	553
4	सामग्री खरीद	114
5	अन्य	36
	योग	**978**
Financial Deviation (वित्तीय विचलन)		
1	अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये	1327
2	कार्य चयन	45
3	कार्य अभिलेख	154
4	कार्य निष्पादन	114
	योग	**1640**
Process Violation (प्रक्रिया उल्लंघन)		
1	हक से इनकार	152
2	पारदर्शिता और जवाबदेही	11191
3	वित्तीय	30
4	काम का चयन	13
5	काम का निष्पादन	32
6	काम की गुणवता	281
7	रजिस्टर रिकॉर्ड का रखरखाव	1409
8	प्रशासन	6
	योग	**13114**
Grievences (परिवेदनाएं)		
1	जे.सी.बी. मशीन से संबंधित	44
2	आधार / बैंक खाते से संबंधित	0
3	काम से संबंधित	35
4	कार्यस्थल की सुविधाऐं	474
5	मजदूरी से संबंधित	57
6	चोट / मृत्यु	0
7	व्यक्तिगत संपति से संबंधित	3
8	सार्वजनिक कार्यो से संबंधित	2
9	ग्राम सभा से संबंधित	10
10	विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत	82
11	अन्य	37
	योग	**744**
	कुल योग	**16476**

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :—

सोसायटी द्वारा राजस्थान के सभी 33 जिलों की 352 पंचायत समितियों की 11196 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में निर्मित मकानों का माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि में सोसायटी द्वारा जारी कलैण्डर अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। उक्त जिलों से गूगल लिंक पर प्राप्त सूचना अनुसार माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सम्पादित किया गया। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं	जिले का नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या	स्वीकृत आवासों की संख्या				अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या
			वर्ष 2022—23	वर्ष 2023—24	वर्ष 2024—25	कुल आवासों की संख्या	
1	अजमेर	325	0	0	7424	1449	295
2	अलवर	552	0	0	4520	791	208
3	बांसवाड़ा	417	0	0	38804	4433	145
4	बारां	228	0	0	17987	1370	89
5	बाड़मेर	688	0	0	27045	5491	122
6	भरतपुर	400	0	0	398	87	67
7	भीलवाड़ा	396	0	0	21155	2919	274
8	बीकानेर	366	0	0	20006	815	15
9	बूंदी	182	0	0	13256	642	133
10	चित्तौड़गढ़	298	0	0	13851	1658	31
11	चुरु	304	0	0	10750	1304	226
12	दौसा	279	0	0	2865	407	174
13	धौलपुर	188	0	0	3122	564	93
14	डूंगरपुर	353	0	0	3119	3305	59
15	हनुमानगढ़	268	0	0	11517	1030	158
16	जयपुर	583	0	0	5748	544	86
17	जैसलमेर	206	0	0	9204	1074	118
18	जालौर	305	0	0	11811	1889	217
19	झालावाड	254	0	0	23832	7034	313
20	झुंझुनू	332	0	0	1122	160	197
21	जोधपुर	617	0	0	21500	3220	200
22	करौली	240	0	0	12187	544	72
23	कोटा	155	0	0	14265	1637	101
24	नागौर	497	0	0	18479	1934	192
25	पाली	339	0	0	10987	2319	104
26	प्रतापगढ़	233	0	0	22356	1475	41
27	राजसमंद	213	0	0	8261	1313	29
28	सवाईमाधोपुर	224	0	0	16578	1320	180
29	सीकर	373	0	0	3067	336	401
30	सिरोही	170	0	0	11821	1255	30
31	श्रीगंगानगर	344	0	0	19921	3214	207
32	टोंक	235	0	0	14310	2749	127
33	उदयपुर	632	0	0	51005	3087	142
कुल योग		11196	0	0	472273	61369	4846

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं / कमियों के बिन्दु —

- आवास की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी
- महात्मा गांधी नरेगा से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया
- वास्तव में मकान पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं
- अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का आवास होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति)

- लाभार्थी को नरेगा से कार्य उसके जॉब कार्ड की बजाय लाभार्थी की सहमति के बिना अन्य किसी के जॉब कार्ड पर दिया गया।
- लाभार्थी द्वारा आवास का गैर आवासीय प्रयोग किया जा रहा है।
- अपूर्ण आवास को पूर्ण दिखाया गया ।
- राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित आवास पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी)
- लाभार्थी द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़कर स्थायी रूप से पलायन।
- लाभार्थी द्वारा अनुदान राशि जारी कराने में रिश्वत की शिकायत की गई।
- राजकीय भूमि पर आवास निर्मित ।

(iii) 15वाँ वित्त आयोग :–

15वें वित्त आयोग का वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अगस्त 2024 (द्वितीय चरण) से माह सितम्बर 2024 (तृतीय चरण) की अवधि में गाईड लाइन के अनुसार 1903 ग्राम पंचायतो का सामाजिक अंकेक्षण किया जा चुका है। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	जिला	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या 2024–25
1	अजमेर	111
2	अलवर	26
3	बांसवाड़ा	82
4	बारां	43
5	बाड़मेर	56
6	भरतपुर	47
7	भीलवाड़ा	112
8	बीकानेर	1
9	बूंदी	50
10	चित्तौड़गढ़	7
11	चुरु	72
12	दौसा	81
13	धौलपुर	42
14	डूंगरपुर	35
15	हनुमानगढ़	58
16	जयपुर	40
17	जैसलमेर	39
18	जालौर	93
19	झालावाड	92
20	झुंझुनू	103
21	जोधपुर	82
22	करौली	36
23	कोटा	48
24	नागौर	55
25	पाली	18
26	प्रतापगढ़	6
27	राजसमंद	19
28	सवाईमाधोपुर	83
29	सीकर	162
30	सिरोही	10
31	श्रीगंगानगर	70
32	टोंक	74
33	उदयपुर	50
कुल		**1903**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु –

- कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड प्राप्त नहीं होना ।
- कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाना जैसे पानी की टंकी में दरार मिलना इत्यादि।
- मौके पर काम नहीं मिलना जैसे सोखता गढ्ढा।
- स्वच्छता सम्बंधित गतिविधि के अंतर्गत रखवाये गये कचरा पात्रों का सही उपयोग नहीं होना।
- पूर्ण हुए कार्यों की CC प्राप्त नहीं होना
- 15वें वित्त आयोग योजना में बंध अनुदान के तहत स्वच्छता सम्बंधित कार्य स्वीकृत होने पर भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई का अभाव होना ।
- कार्य के लिए स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय होना ।

(iv) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित कुल 4 लक्षित योजनाओं का चार जिलों सवाई माधोपुर, नागौर, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के 64 ग्राम/संस्थानों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। जिसका योजनावार विवरण निम्नानुसार है:–

- **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY), प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) की विलयित योजना के अंतर्गत चयनित 55 आदर्श ग्रामों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।**

  सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु :–

  A. आवश्यकता आंकलन के लिए किसी ने सर्वेक्षण नहीं किया।
  B. आवश्यकता मूल्यांकन करने वाले सदस्यों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
  C. वी.डी.पी. आवश्यकता आंकलन के आधार पर तैयार नहीं किया गया।
  D. परिवार/व्यक्तिगत जरूरतों को वी.डी.पी. में शामिल नहीं किया गया।
  E. वी.डी.पी. में बुनियादी ढांचे की जरूरतों को शामिल नहीं किया गया।
  F. ग्राम वी.एल.सी.सी. समिति का गठन नियमानुसार नहीं किया गया।
  G. ग्राम विकास योजना तैयार करने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
  H. वी.डी.पी. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं है।
  I. वी.डी.पी. पंचायत विकास योजना का हिस्सा नहीं है।
  J. जिला स्तरीय समिति द्वारा वी.डी.पी. के अनुमोदन की तिथि की स्पष्ट जानकारी नहीं है।
  K. ग्राम स्तर वी.एल.सी.सी. अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों से अवगत नहीं है।

- **नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के अंतर्गत द इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फोर एडिक्टस (IRCA)के अंतर्गत संचालित 4 नशा मुक्ति केन्द्रों का सामजिक अंकेक्षण किया गया।**

  सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु :–

  A. एसएलसीए/एनसीडीएपी द्वारा कोई निगरानी दौरा/निरीक्षण नहीं।
  B. एसएलसीए/एनसीडीएपी किसी अन्य द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
  C. केन्द्र में कानूनी सहायता या अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता नहीं है।
  D. केन्द्र द्वारा उठायें गये अनुवर्ती कार्यक्रमों का विवरण (बिन्दु 3)
     I. कोई स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम नहीं
     II. कोई आधे रास्ते में घर नहीं
     III. कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाऐं नहीं
     IV. कोई शैक्षणिक सेवाऐं नहीं

- **अटल वयो अभ्युदय (AVYAY) के अंतर्गत संचालित 1 वृद्ध आश्रम का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।**

  सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु :–

  A. लाभार्थियों के लिए कोई भी उत्पादक गतिविधि की सुविधाएं नहीं है।
  B. प्रवेश योग्य लोगों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं की जाती है।
  C. घर में फर्श फिसलन रोधी नहीं है।
  D. बाथरूम और शौचालयों में फिसलनरोधी टाइल्स और हाथ के सहारे के लिए रैलिंग्स नहीं है।
  E. अलग वाचनालय नहीं है।

- **स्कीमों फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई टार्गेटेड एरियाज (SHRESHTA) अंतर्गत संचालित 4 आवासीय विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया।**

  सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं/कमियों के बिन्दु :–

  A. संस्थान को ब्रिज कोर्स प्रदान करने के लिए 10 वार्षिक शुल्क अलग से प्राप्त नहीं हुआ है।
  B. लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग छात्रावास नहीं है।

(v) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :–

सोसायटी द्वारा राजस्थान के 33 जिलों की 3695 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत निर्मित शौचालयों का सामाजिक अंकेक्षण माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक किया गया है। जिसका जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	जिले का नाम	अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या (वर्ष 2024–25)
1.	अजमेर	214
2.	अलवर	155
3.	बांसवाड़ा	62
4.	बारां	149
5.	बाड़मेर	92
6.	भरतपुर	172
7.	भीलवाड़ा	58
8.	बीकानेर	162
9.	बूंदी	148
10.	चित्तौड़गढ़	62
11.	चुरु	112
12.	दौसा	126
13.	धौलपुर	120
14.	डूंगरपुर	9
15.	हनुमानगढ़	158
16.	जयपुर	130
17.	जैसलमेर	12
18.	जालौर	98
19.	झालावाड	202
20.	झुंझुनू	118
21.	जोधपुर	140
22.	करौली	122
23.	कोटा	69
24.	नागौर	169
25.	पाली	82
26.	प्रतापगढ़	22
27.	राजसमंद	58
28.	सवाई माधोपुर	62
29.	सीकर	116
30.	सिरोही	56
31.	श्रीगंगानगर	221
32.	टोंक	129
33.	उदयपुर	90
कुल		**3695**

सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं / कमियों के बिन्दु –

1 शौचालय की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी।

2 वास्तव में शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है।

3 अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का शौचालय होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति) प्रदान की गयी है।

4 शौचालय के मल निपटान हेतु पिट नही लगाया गया है।

5 शौचालय के मल निपटान हेतु पिट लगाया गया है किन्तु चालू नही है।

6 शौचालय में पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड़ आदि सुविधाओं का अभाव।
7 शौचालय में साफ–सफाई का अभाव।
8 लाभार्थी द्वारा शौचालय का अन्य कार्य में उपयोग किया जा रहा है।
9 अपूर्ण शौचालय को पूर्ण दिखाया गया।
10 राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित शौचालय पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त SBM (G) लोगो/सूचना बोर्ड नही लगा हुआ है।

10. लोकपाल की नियुक्तिः–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक एफ न. M-11015/112022-RE-III(380157) दिनांक 20.03.2023 द्वारा जारी गाईड लाईन की अनुपालना में राज्य के 11 जिलों (अलवर, जयपुर, झुंझुनु, सीकर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूगंरपुर, हनुमानगढ़, एवं जालौर) में माह जून 2024 एवं 4 जिलों (श्री गंगानगर, भीलवाड़ा, राजसमंद एवं जैसलमेर) का कार्यकाल माह अगस्त 2024 में पूर्ण हो गया था।

विभाग द्वारा उक्त 15 जिलों (अलवर, जयपुर, झुंझुनु, सीकर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा) में लोकपाल पद हेतु दिनांक 13.03.2024 को विज्ञप्ति जारी की गयी।

18 जिलों (अजमेर, बूंदी, चितौडगढ़, चूरु, दौसा, धौलपुर, बांरा, झालावाड, जोधपुर, करौली, पाली, प्रतापगढ, सिरोही, टोंक, नागौर, कोटा, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर) में दिनांक 20.04.2023 द्वारा दो वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए थे।

सवाई माधोपुर जिले में लोकपाल का कार्यकाल 15.07.2024 को 68 वर्ष पूर्ण होने के कारण भारत सरकार के MoRD के दिशा निर्देशो के तहत उनका कार्यकाल समाप्त होने के कारण पद रिक्त है।

जिला नागौर एवं कोटा का लोकपाल पद पर एक वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक नही होने के कारण दिनांक 18.02.2025 को लोकपाल पद से सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

लोकपाल की वार्षिक प्रगति रिपोर्टः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 33 लोकपालों द्वारा 494 शिकायतें प्राप्त की गई जिनमें से 445 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जिसकी जिलेवार प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

लोकपाल की मार्च 2025 तक का प्रगति विवरण

क्रम संख्या	ज़िला	रिपोर्ट की गई शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई			जिन मामलों की एफआईआर दर्ज की गई	वसूली के लिए अनुशंसित राशि (रुपये में)	वसूल की गई राशि (रुपये में)
					कारण बताओं नोटिस	लंबन का आदेश दिया गया	अधिकारियों को हटाने/बर्खास्त करने का आदेश दिया गया			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अजमेर	30	29	1	0	0	0	0	0	0
2	अलवर	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बारां	14	10	4	0	0	0	0	0	0
5	बाड़मेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	भरतपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	बूंदी	36	36	0	0	0	0	0	87737	0
10	चित्तौड़गढ़	7	7	0	0	0	0	0	282470	3080
11	चुरु	71	71	0	0	0	0	0	204531	0
12	दौसा	18	18	0	0	0	0	0	11602	0
13	धौलपुर	46	46	0	0	0	0	0	4500	0
14	डूंगरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	हनुमानगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जयपुर	7	7	0	0	0	0	0	2295	0
17	जैसलमेर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	जालौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	झालावाड	33	33	0	0	0	0	0	1000	0
20	झुंझुनू	17	17	0	0	0	0	0	0	0
21	जोधपुर	3	2	1	0	0	0	0	75900	0
22	करौली	36	1	35	0	0	0	0	0	0
23	कोटा	1	0	1	0	0	0	0	0	0
24	नागौर	3	0	3	0	0	0	0	0	0
25	पाली	70	70	0	0	0	0	0	650068	0
26	प्रतापगढ़	19	19	0	0	0	0	0	0	0
27	राजसमंद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	सवाई माधोपुर	9	8	1	0	0	0	0	585310	0
29	सीकर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	सिरोही	15	15	0	0	0	0	0	0	0
31	श्रीगंगानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	टोंक	42	42	0	0	0	0	0	43058	0
33	उदयपुर	16	14	2	0	0	0	0	1000	0
	Total	**494**	**445**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1949471**	**3080**

लोकपाल अपीलेट ॲथोरिटी :–

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 28.08.2017 के बिन्दु संख्या 13.4 में 3 सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी के गठन का प्रावधान महानरेगा लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु किया गया है। अपीलेट अथोरिटी के तीन सदस्यों के चयन हेतु दिनांक 28.06.2024 को विज्ञप्ति जारी कर पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। प्राप्त आवेदकों के आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पाये गये पात्र आवेदकों का राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 23.12.2024 को साक्षात्कार लेकर 2–2 सफल आवेदकों का पैनल तैयार किया गया। उक्त साक्षात्कार में केवल दो सदस्यों का पैनल तैयार किया जा सका शेष तीसरे सदस्य के चयन हेतु पुनः दिनांक 09.01.2025 को पुनः विज्ञप्ति जारी की गई। तीसरे सदस्य के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन रही।

11. सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्यों का 03 वर्ष का तुलनात्मक विवरण :—

क्र.सं.	बिन्दु	2022—2023	2023—2024	2024—25
1	कुल ग्राम पंचायत	11273	11251	11251
2	सामाजिक अंकेक्षण किया गया	11249	11222	11196
3	रिपोर्ट अपलोड की गई	11216	11222	11196
4	रिपोर्ट अपलोड का प्रतिशत	99.09%	100%	100%
5	कुल प्रकरणों की संख्या	474	1391	16476
6	सामाजिक विकास विशेषज्ञ की संख्या	शून्य	1 प्रशिक्षित	1 प्रशिक्षित
7	राज्य संसाधन व्यक्तियों की संख्या	शून्य	6 प्रशिक्षित	6 प्रशिक्षित
8	जिला संसाधन व्यक्तियों की संख्या	शून्य	59 प्रशिक्षित	59 प्रशिक्षित
9	ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या	1220 प्रशिक्षित	1220 प्रशिक्षित	925 (चयनित एवं CSO एम्पेनल्ड = 811 + कोर्ट केस = 114 कुल = 925)
10	ग्राम संसाधन व्यक्तियों की संख्या	12800 प्रशिक्षित	12800 प्रशिक्षित	12800 प्रशिक्षित
11	वित्तीय अनियमितता	57 संख्या राशि 177.26 लाख	333 संख्या राशि 981.59 लाख	978 संख्या राशि 1985.52 लाख
12	वित्तीय विचलन	91 संख्या राशि 28.10 लाख	180 संख्या राशि 115.44 लाख	1640 संख्या राशि 2062.91 लाख
13	प्रक्रिया उल्लंघन	55 संख्या राशि 03.33 लाख	650 संख्या राशि 438.53 लाख	13114 संख्या राशि 1242.55 लाख
14	परिवेदनाएं	262 संख्या राशि 07.83 लाख	219 संख्या राशि 0.76 लाख	744 संख्या राशि 23.97 लाख
15	लोकपाल की स्थिति	15 संख्या	वर्ष 2024—25 में माह के दौरान कार्यरत लोकपालों की संख्याः—	

अवधि	लोकपालों की संख्या
अप्रैल, 24 से अप्रैल, 24 तक	33
अप्रैल, 24 से जून, 24 तक	22
अप्रैल, 24 से जुलाई, 24 तक	21
अप्रैल, 24 से अगस्त, 24 तक	17
अप्रैल, 24 से फरवरी, 25	15
अप्रैल, 24 से मार्च, 25 तक	15

12. लेखे एवं अंकेक्षण (Accounts & Audit) :–

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं.–20 के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के लेखे विधिवत रूप से संस्था के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाने हैं।

भारत सरकार के मनरेगा वार्षिक मास्टर प्रपत्र (Annual Master Circular) 2023–24 के अध्याय 10 के बिन्दु संख्या 10.1.6 के अंतर्गत राज्य सरकार को योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि में प्रशासनिक व्यय मद में से 0.5 प्रतिशत राशि सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाना अनुमत है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भी 0.5 प्रतिशत राशि या योजना के प्रावधानानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने बाबत् प्रावधान हैं।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के वार्षिक अन्तिम लेखों का विवरण :–

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

Expenditure	Amount (InRs.)		Income	Amount(InRs.)	
Expenses			**Income**		**24,17,518.00**
Salary and Allowances to staff		1,52,95,337.00	Tender Fees & Other fees	4,00,000.00	
Salary to regular staff	1,00,86,759.00		Interest from bank (SBI)	11,17,703.00	
Additional Charge Allowance	27,096.00		Interest from bank (HDFC)	8,99,103.00	
Remuneration to Retired contract Staff	46,36,114.00		Miscelaneous Income	712.00	
Travelling Allowance	1,33,790.00				
Salary arrear	3,57,890.00				
DA Arrear of Regular Staff	53,688.00				
Pension Contribution	-				
Concurrent Social Audit Expenses (CSA)		4,66,06,150.00			
Regular Social Audit Expenses	4,66,06,150.00				
			Deficit being Expenditure over income		8,93,68,421.09
Contractual Expenses		56,46,818.76	(Transfered to MGNREGA FUND)	8,90,02,539.09	.
For Machine with Man	11,47,386.00		(Transferred to SRP/DRP/BRP Trainning fund)	3,65,882.00	
For Home Guard and Assistants	2,40,833.76				
For Vehicle Hiring	8,10,051.00				
Contractual Staff Salary (SRP)	34,48,548.00				
Other Expenses (Other than Salary and Allowances)		2,38,71,751.33			
Advertisement Expenses	7,03,843.00				
Professional Fee / Audit fee	4,54,800.00				
Editing and Photography Expenses	7,315.00				
Printing and Stationery Expenses	2,45,403.00				
Bank Charges	677.32				
Refreshment Expenses	7,224.00				
TRAINING ALLOWANCE (BRP NAREGA)	2,05,546.00				
BRP And VRP Trainning Exp	95,57,979.00				
Misclaneous office Expenses	26,927.48				

Postage and Stamp Expenses	30,893.00				
Office exp	42,708.00				
Legal Exp.	1,59,185.00				
Mobile Exp.	11,576.00				
Telephone Expenses	42,257.00				
Interest to MORD	4,33,933.00				
Website and Software Exp.	17,700.00				
Drp payment	1,15,68,384.00				
Computer & Printer Repair	61,074.00				
Depreciation Expenses					
Previous Year	179473.90				
Current Year	114852.63				
Exp. for other scheme		3,65,882.00			
SRP And DRP/BRP Training Exp	3,65,882.00				
TOTAL		**9,17,85,939.09**			**9,17,85,939.09**

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

LIABILITIES	Amount (In Rs.)		ASSETS	Amount (In Rs.)	
MGNREGA GOI FUND		1,46,96,900.46	**Fixed Assets**		2,56,565.47
OPENING BALANCE 1.4.24	98,81,939.55		Air condisoner	23,800.00	
Add: fund received dueing the Year	9,38,17,500.00		Furniture	80,143.83	
Less: Utilised Amount This Year	8,90,02,539.09		laptop	81,718.20	
			Printer	63,703.44	
RUDSICO PMAY URBEN FUND		5,74,238.00	Tally software	7,200.00	
OPENING BALANCE 1.4.24	5,74,238.00				
Add: fund received dueing the Year	-		Investment		1,10,988.00
Less: Utilised Amount This			FDR -HDFC (SWEEP)	1,10,988.00	
MID DAY MEAL FUND		3,92,35,850.00			
OPENING BALANCE 1.4.24	8,78,350.00		**Current Assets**		8,69,45,331.11
Add: fund received dueing the Year	3,83,57,500.00		Security Deposit to RRSUSL	10,000.00	
Less: Utilised Amount This	-		Bank balance	8,68,83,986.11	
			Advances	51,345.00	
SBM GRAMEEN		49,12,654.00			
OPENING BALANCE 1.4.24	48,93,454.00				
Add: fund received dueing the Year	19,200.00				
Less: Utilised Amount This	-				
SRP/DRP/BRP TRAINING FUND		56,98,589.00			
OPENING BALANCE 1.4.24	7,50,584.00				
Add: fund received dueing the Year	53,13,887.00				
Less: Utilised Amount This	3,65,882.00				
MOSJE(Minstry of Social Justice & Empowerment)		7,57,837.00			
15th FC (Zila Parisad Bikaner)		5,70,000.00			
NAREGA GOR FUND		3,07,000.00			

Plan Finance Monetering System (PFMS) fund		6,02,500.00			
Temporary Advance From MGNREGA, GOR		36,67,697.00			
Temporary Advance From SBM		6,33,000.00			
Current Liabilities		1,56,56,619.12			
Sundry creditors	42,05,190.28				
Sundry Liability (unidentified)	1,11,75,329.60				
Performance Guarantee and Security Deposit Payable	1,17,153.00				
Duties & Taxes	1,58,946.24				
TOTAL		8,73,12,884.58	**TOTAL**		8,73,12,884.58

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FORTHEYEARENDED31stMARCH2025

Receipts	Amount(InRs.)		Payments	Amount(InRs.)	
OpeningBalance		**2,58,68,233.43**	**SalaryandAllowancestostaff**		**1,51,80,784.76**
BankBalanceSBIno.00000038872762396	1,16,08,618.43		Salarytoregularstaff	99,72,206.76	
BankBalanceHDFC no.50100492319069	1,41,48,627.00		AdditionalChargeAllowance	27,096.00	
SWEEPHDFC-50300759295976	1,10,988.00		RemunerationtoRetiredcontractStaff	46,36,114.00	
			TravellingAllowance	1,33,790.00	
FUNDRECEIVEDDURINGTHEYEAR		**13,84,17,587.00**	Salary arrear	3,57,890.00	
MGNREGAFUND	9,38,17,500.00		DA ArrearofRegularStaff	53,688.00	
NAREGAGORFUND	3,07,000.00		PensionContribution	-	
MID DAYMEAL FUND	3,83,57,500.00				
SRP/DRP/BRPTRAININGFUND	53,13,887.00		**ConcurrentSocialAuditExpenses(CSA)**		**4,66,06,150.00**
SWACHHBHARAT MISSONFUND	19,200.00		RegularSocialAuditExpenses	4,66,06,150.00	
MOSJE(MinstryofSocialJustice&Empowerment)	-				
PFMSFUND	6,02,500.00		**ContractualExpenses**		**55,86,703.76**
BIKANERJILA PARISAD	12,750.00	10,16,255.00	ForMachinewithMan	11,46,734.00	
CHURUZILAPARISAD	4,32,600.00		ForHomeGuardandAssistants	2,40,833.76	
HANUMANGARHZILAPARISAD	6,35,000.00		ForVehicleHiring	7,52,356.00	
			ContractualStaffSalary(SRP)	34,46,780.00	
Otherreceipt		**1,30,34,649.00**			
TenderFeesRecd.	4,00,000.00		**Other Expenses(OtherthanSalaryand Allowances)**		**2,35,74,229.80**
Interestfrombank(SBI)	11,17,703.00		AdvertisementExpenses	7,00,648.00	
Interestfrombank(HDFC)	8,99,103.00		ProfessionalFee/Auditfee	4,54,800.00	
MiscelaneousIncome	712.00		EditingandPhotographyExpenses	7,315.00	
InterestfromTdsRefund			PrintingandStationeryExpenses	2,45,403.00	
PerformanceGuarantee&SecurityDeposit			BankCharges	677.32	
SundryLiability(unidentified)	41,973.00		RefreshmentExpenses	7,224.00	
BRPRETURNLIABILITY	1,05,75,158.00		TRAININGALLOWANCE(BRPNAREGA)	2,05,546.00	
MisceleniousReceipt			BRPAndVRPTrainningExp	95,57,979.00	
Resourcepersonnirdpr			MisclaneousofficeExpenses	26,927.48	
			PostageandStampExpenses	30,893.00	
			Officeexp	42,708.00	
			Legal Exp.	1,59,185.00	

			MobileExp.	11,576.00	
			TelephoneExpenses	42,257.00	
			InteresttoMORD	4,33,933.00	
			WebsiteandSoftwareExp.	17,700.00	
			drppayment	1,15,68,384.00	
			Computer&PrinterRepair	61,074.00	
			Exp.forotherscheme		**3,65,882.00**
			SRPAndDRP/BRPTrainingExp	3,65,882.00	
			Aircondisnoerpurchases	28,000.00	28,000.00
			ClosingBalance		**8,69,94,974.11**
			BankBalanceSBIno.00000038872762396	3,05,62,372.11	
			BankBalanceHDFC no.50100492319069	5,63,21,614.00	
			SWEEPHDFC-50300759295976	1,10,988.00	
TOTAL		**17,83,36,724.43**	**TOTAL**		**17,83,36,724.43**

13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

- मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु भारत सरकार से 0.5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में से सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) हेतु व्यय किया जाना अनुमत है।
- आवश्यक होने पर सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना अनुज्ञेय है। वर्तमान परिपेक्ष्य में शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा ही प्रभारित किया जा रहा है।
- सोसायटी (**SSAAT**) को मनरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के लिए **SNA खाता** सं 38872762396 भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर में संधारित है जबकि अन्य योजनान्तर्गत (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समग्र शिक्षा योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), 15वां वित्त आयोग, भवन एवं अन्य संनिर्माण योजना आदि) हेतु HDFC बैंक में खाता संधारित किया जा रहा है।
- सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय की बैठक दिनांक 29.12.2020 में लिए गये निर्णय सं. 2.9 में अनुमोदन अनुसार सोसायटी के लेखों का नियंत्रक महालेखाकार (CAG) द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा अंकेक्षण कराये जाने के निर्देश हैं। वर्ष 2024–25 के लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट M/s ABH & Company, Chartered Accountants, Jaipur से करवाया जा चुका है।
- **जिला स्तर पर** जिला लोकपाल तथा **राज्य स्तर पर** ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय सलाहकार को सामाजिक अंकेक्षण ईकाई (SAU) के कर्मचारियों तथा कार्यप्रणाली के लिए **शिकायत निवारण अधिकारी** के रूप में नामित किया गया है। ये नामित शिकायत निवारण अधिकारी सामाजिक लेखा परीक्षा, जबावदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के नियमों तथा विनियमों के दायरे में मामले का निर्णय करेंगे।
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र 2024–25 के बिन्दु संख्या 10.1.9 (ii)(d) के अन्तर्गत भी सामाजिक अंकेक्षण के अन्तर्गत वसूली की गई राशि को State Employment Gurantee Fund Account के तहत जमा कराये जाने का प्रावधान है।

  सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 21 की पालना में वर्ष 2024–25 में हुई समस्त गतिविधियों, लेखों, आदि को समाहित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, प्रधान महालेखाकार, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालयों तथा कार्यकारी समिति और शासी निकाय को सादर प्रस्तुत है।

(सांवर मल वर्मा)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

49/2019

दिनांक 26 जून, 2019 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग-3) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक एफ.11(8) ग्रावि/नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके/2015/दिनांक 19.06.2019 पर विचार-विमर्श कर राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता हेतु स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

डी.49/मं.मं./2019
जयपुर, दिनांक : 27 जून, 2019

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग/Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/Registration Certificate

क्रमांक S.No.: COOP/2019/JAIPUR/104900 — दिनांक/ Date 20-08-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT) जिला JAIPUR का रजिट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज एक्ट 1958 (राजस्थान एक्ट नम्बर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT), Rajasthan at district JAIPUR is registered under the 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)' This certificate is issued today under my digital signatures.

GPS Map Camera
Dhigariya, Rajasthan, India
R784+VWC, Dhigariya, Rajasthan 303305, India
Lat 26.817861°
Long 76.258585°
20/02/24 01:12 PM GMT +05:30
Google

सवाई माधोपुर, राजस्थान, भारत
Lat 25.968713°
Long 76.60142°
29/02/24 09:42 AM GMT +05:30
Google

संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम